

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0,  
देहरादून।

विषय:—जनपद—पौड़ी के अन्तर्गत, नन्दी सैलसेण—मथुरा गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।  
(FP/UK/ROAD/11204/2015)

महोदय,

विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में कार्यालय उप वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी, से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है।

S.No	EDS	REPLY
1	Authority letter is not signed and not issued for the applicant Mr Bhagwati Prasad Nautiyal.	Short narrative detail upload by User Agency at section A-(iii) in Form A Part I.
2	Village wise breakup is not given in part I	Village wise breakup is corrected and uploaded again in Form A, Part-1, B-2.3
3	Name of components is not shown in Part I.	Components wise breakup is corrected and uploaded again in Form A, Part-1, B-2.4
4	Employment generation details is not provided in Part I.	Employment generation details is corrected and uploaded again in Form A, Part-1, E which are 6480 men days
5	The area marked for muck disposal is in civil land and naap land but it is not clear that the area is included in the area proposed for diversion or not and for the area marked in naap land, necessary NOCs are not provided.	The area marked for muck disposal is only on the Nap land. The muck disposal points on the Civil land shown by mistake, so the area of muck disposal is not included in the area of the forest land. The NOCs are the Nap land for muck disposal is corrected and uploaded again in additional information
6	The details of trees involved are 90 as per Part II but in hard copy it is 103, need clarification.	13 no's of trees are 0-10 dia not included by the D.F.O in Part-II so the details of trees involved are 90 as per Part II is correct
7	1 no. of tree is shown in protected forest as per details in hard copy, whereas no protected forest is involve in the proposed diversion.	01 no of Jamun tree shown in protected forest by mistake. Where as no Protected forest is involve in the proposed diversion.

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सेवा में,

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड  
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी-सैलसैण-मठूरगांव मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/11204/2015 हेतु 0.8825 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों/ई०डी०एस० के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Short narrative for the project is not given properly.	अधिशारी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या-871/33 सी० दिनांक 10-05-2016 से आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
2	Authourity letter is not signed and not issued for the applicant Mr. Bhagwati Prasad Nautiyal.	अधिशारी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या-871/33 सी० दिनांक 10-05-2016 से आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
3	Village Wise Breakup is not given in part-1	अधिशारी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या-871/33 सी० दिनांक 10-05-2016 से आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
4	Name of components is not shown in part-1	अधिशारी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या-871/33 सी० दिनांक 10-05-2016 से आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
5	Employment generation details is not provided in part-1	अधिशारी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या-871/33 सी० दिनांक 10-05-2016 से आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
6	The Area marked for muck disposal in civil land and naap land, but it is not clear that the area is included in the area proposed for diversion or not for the area marked in nap land, necessary NOCs are not provided.	अधिशारी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या-871/33 सी० दिनांक 10-05-2016 से आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

7	The Details of trees involved are 90 as per part-2 but in hard copy, is 103 need clarification .	अवगत कराना है कि 0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों का भाग-2 में उल्लेख किये जाने का प्राविधान नहीं है। प्रस्ताव के हॉड कॉपी में परियोजना में कुल प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-103 है, जिसमें 13 वृक्ष 0-10 व्यास वर्ग के भी सम्मिलित है। तथा 90 वृक्षों उल्लेख ऑन लाईन के भाग-2 में किया गया है जिनका व्यास वर्ग 10 से अधिक है।
8	1 No. of trees is shown in protected forest as per details in hard copy, whereas no protected forest is involve in the proposed divirision.	अधिशायी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या-871/33 सी0 दिनांक 10-05-2016 से आपत्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि :-

भवदीय  
  
 (राहुल)

प्रभागीय वनाधिकारी  
 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

₹

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Short narrative for the project is not given properly.	बिन्दु संख्या-01 के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजना की संक्षिप्त टिप्पणी ऑन लाईन के भाग-1 में यथास्थान पर कर दी गयी है।
2	Authority letter is not signed and not issued for the applicant Mr. Bhagwati Prasad Nautiyal.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में आपको अवगत कराना है कि हस्ताक्षरित अथोरटी लेटर संलग्न किया जा रहा है। (संलग्न-1) पृष्ठ-1
3	Village Wise Breakup is not given in part-1	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में भाग-1 में गांव वार विवरण ऑन लाईन के भाग-1 में यथास्थान पर कर दी गयी है।
4	Name of components is not shown in part-1	बिन्दु संख्या-04 के क्रम में अवगत करना है कि ऑन लाईन भाग-1 में कम्पोनेन्ट वार विवरण यथास्थान पर कर दिया गया है।
5	Employment generation details is not provided in part-1	भाग-1 में बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में रोजगार पाने वालों का विवरण भर दिया गया है।
6	The Area marked for muck disposal in civil land and nap land, but it is not clear that the area is included in the area proposed for diversion or not for the area marked in nap land, necessary NOCs are not provided.	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में अवगत करना है कि मक डिस्पोजल हेतु नाप भूमि चिन्हित की गयी है सम्बन्धित काश्तकारों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड किया जा रहा है। (संलग्न-2) पृष्ठ-9
7	The Details of trees involved are 90 as per part-2 but in hard copy, is 103 need clarifications.	बिन्दु संख्या-07 का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
8	1 No. of trees is shown in protected forest as per details in hard copy, whereas no protected forest is involve in the proposed division.	बिन्दु संख्या-08 के अनुपालन में अवगत करना है कि संरक्षित भूमि मार्ग निर्माण में प्रभावित नहीं हो रही है। जिस कारण प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण में क्षेत्रफल सम्मिलित नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में 01 नं० जामुन का वृक्ष संरक्षित वन में संयुक्त निरीक्षण के समय दर्शाया गया है जिसका पातन मार्ग निर्माण के दौरान नहीं किया जायेगा। (संलग्न-3) पृष्ठ-1

J.E.  
TDPWD Kishinagar

सहायक अभियन्ता-  
अस्थाई एवं लो० नि० वि०  
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० प०

अधिसाक्षी अभियन्ता  
अ० ख०, लो० नि० वि०  
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 071/33 सी

दिनांक 10/5/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनिकीरेती।

**विषय :-** जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी सैलसेण मठूरगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 2.00 कि०मी०)।

**सन्दर्भ :-** ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 05.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/11204/2015 पर ऑन लाईन प्राप्त आपत्ति दिनांक 05.05.2016 का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार कर प्रेषित किया जा रहा है :-


- 1 :- Short Narrative For the Project Properly भर कर अपलोड किया जा रहा है।
- 2 :- भगवती प्रसाद नौटियाल द्वारा दिया गया अधिकार पत्र पुनः हस्ताक्षर कर अपलोड किया जा रहा है।
- 3 :- ग्रामों का विवरण पार्ट-। में भर दिया गया है।
- 4 :- Component wise breakup भर कर अपलोड कर दिया गया है।
- 5 :- Employment Generation का विवरण पार्ट-। में भर दिया गया है।
- 6 :- Muck disposal हेतु नाप भूमि चिन्हित की गयी है, सम्बन्धित काश्तकारों के अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किये जा रहे हैं।
- 7 :- संयुक्त निरीक्षण के अनुसार हार्ड कॉपी में 103 वृक्ष प्रभावित लिये गये हैं तदनुसार प्रभागीय वनाधिकारी पार्ट-।। में संशोधित करने की कृपा करें।
- 8 :- संरक्षित भूमि मार्ग निर्माण में प्रभावित नहीं हो रही है। जिस कारण वन भूमि हस्तान्तरण में क्षेत्रफल सम्मिलित नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में 1 नं० जामुन का पेड़ संरक्षित वन में संयुक्त निरीक्षण के समय दर्शाया गया है। जिसका पातन मार्ग निर्माण के दौरान नहीं किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता  
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

प्रारूप-1

**Mr. Jagn Nath Patwal** son of **Late Sri Pashupati Nath** is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Construction of **Nandi Sailsain Mathurgoun Motor Road** of the T.D. P.W.D. Srinagar H.Q. Kirtinagar (agency name) on the Government of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the Sri Bhagwati Prasad Nautiyal (head of the Institutions name /designation ).


Signature

  
(Eng. B.P. Nautiyal)  
Executive Engineer  
Ty. Division P.W.D. Srinagar  
H.Q. Kirtinagar

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चित्रमणी पुत्र श्री राम प्रसाद  
 ग्राम नाणडी पट्टी अकरी पो. न्यूली तहसील देवप्रयाग जिला  
 टिहरी गढ़वाल अपने खाता संख्या 10 में खेत नं० 90, 92, 119,  
 120, 383, 384, 575 का नाणडी सेला सेवा मधुरगांव मोटर मार्ग निर्माण  
 करने हेतु मलका निस्तारण केलिए देने का तैयार हूँ,

प्रमाणित  
 ग्राम सभा प्रधान




हं प्राची  
 श्री चित्र मणी  
 ग्राम नाणडी

प्रमाण पत्र      प्राकरण-41

प्रमाणित किया जाता है कि मैक्री बि वान-5 पु बुधू कछुसाम  
ग्राम गावडी समरी पोस्ट-शुली नरहरीला देव प्रभाग जिला  
मिहरी गढ़वाल आपन खाता सं० 48 खेत नं० 121, 89, माछी सेल सेवा  
महूर गांव मोटर मार्ग निर्माण करने हेतु मलका निगम के लिए देना तैयार  
है,

प्रमाणित  
ग्राम सेवा प्रधान




हक प्रक्री  
बि वान-5  
ग्राम गावडी



प्रमाणित किया जाता है कि श्री रतन सिंह पुत्र मदन सिंह ग्राम  
 नाण्डी ककरी पो. झुली तहसील देव प्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल  
 आपन खाता संख्या 39 खत नं 385, 565, 567 को नाण्डी खेल मैदान  
 मंदिर गांव मोटर मार्ग निर्माण करने हेतु मलका निस्तारण के लिए  
 देने को तैयार हूँ,

प्रमाणित

ग्राम सभा प्रधान



हो प्रमाणित  
 श्री-रतन सिंह  
 ग्राम नाण्डी

प्रमाणित किया जाता कि श्री बैसाख पुत्रश्री शंकर मणी राम-नाण्डी पत्नीकनरी  
 पं० श्री० सुली लखीला देव प्रपन्न जिला रीही गढ़वाल अपने छात्राश्रम  
 २१ रेल नं० ३४२ को नाण्डी रेल लाइन मधूर गांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु मलवा  
 निरस्तकरण के लिए देन को तैयार हैं।

प्रमाणित  
 राम प्रधान




राम प्रधान  
 श्री बैसाख वासुदेव  
 राम नाण्डी

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रमेश-चन्द्र पुत्र श्री चण्डी प्रसाद  
ग्राम नाण्डी पट्टी थकी पो. मल्ली तहसील देव प्रयाग जिला टिहरी

गठवाला अपने खाता संख्या 40 अंकेत नं० 207 को नाण्डी रोल सैम मद्रास  
मोटर मार्ग निर्माण करने हेतु मलका निस्तारण के लिए देने का तैयार है

प्रमाणित  
ग्राम प्रधान



हम डाची रमेश चन्द्र  
श्री - रमेश-चन्द्र  
ग्राम नाण्डी

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह ग्राम 11081  
 पट्टी अकरी पो. बूली तहसील देव प्रयाग जिला रिहरी गढ़वाल  
 अपने खाता संख्या 13 खेत नं० 384 को नयी सेलरूम मोटरमार्ग निर्माण  
 करने हेतु मलाका निस्तारण के लिए देने का तैयार हूँ,

प्रमाणित  
 ग्राम सभा प्रधान



हरे प्रदीप  
 श्री. सुरत सिंह  
 ग्राम 11081


प्रमाणित किया जाता है कि श्री मित्रानन्द पुत्र श्री नाथीराम  
 ग्राम नाण्डी पट्टी करारी पो. खुशी तहसील देव प्रयाग जिला देहरी  
 गबाला अपने खाता संख्या ~~36~~ 36 खेत नं० 202 को नाण्डी सेल क्षेत्र  
 मादर गांव मोटर मार्ग निर्माण करने हेतु मलवा निस्ताण देने लिए  
 तैयार हूँ।

श्री मित्रानन्द

प्रमाणित

श्री मित्रानन्द  
 ग्राम नाण्डी

ग्राम सभा प्रधान



पुस्तक संख्या H.V. 811105/2024

परियोजना का नाम- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी-सैलसेण-मदूरगाँव मोटर मार्ग का नव निर्माण।(ल0-2.000 किमी0)

मलवा निस्तारण - साईट-1



*P. J.E*

*AE*  
प्रकारक बाधकना  
20 लख, लॉक वि० वि० श्रीनगर  
कु० कीर्तिनगर

*S. J. Singh*  
Executive Engineer  
T.D. P.W.D. श्रीनगर  
अ० ल० वि० वि० श्रीनगर  
H.O. Kirinagar  
कु० कीर्तिनगर

परियोजना का नाम- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी-सैलसेण-मठूरगाँव मोटर मार्ग का नव निर्माण।(ल0-2.000 किमी0)

मलवा निस्तारण - साईट-2



मलवा निस्तारण - साईट-3



JE

AE

Executive Engineer  
T.D. P.W.D. Srinagar  
H.Q. Kirtinagar



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

मार्ग का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में नाण्डी सैलसेण मठूरगांव मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 2.00 कि०मी०) ।

प्रस्ताव सं० :- FP/UK/ROAD/11204/2015

### प्रमाण पत्र

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/11204/2015 नाण्डी सैलसेण मठूरगांव मोटर मार्ग हेतु प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संरक्षित वन में जामुन का एक पेड़ दर्शाया गया है। जिसका पातन मार्ग निर्माण के दौरान नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता  
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता  
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर